उपायुक्त का कार्यालय, चतरा।

जिला बाल संरक्षण इकाई, चतरा

(समाज कल्याण)

(विकास भवन)

पालन–पोषण देखरेख करने हेतु इच्छुक परिवार/व्यक्तियों से संबंधित

आवश्यक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड रॉची के संकल्प संख्या–912, दिनांक–22.03.2018 के आलोक में समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत जिले में प्रायोजन (Sponsorship) एवं पालन–पोषण देखरेख (Foster Care) योजना आरम्भ किया गया है, जिसमें देखरेख एवं संरक्षण वाले 18 वर्ष तक के बच्चों को इस योजना से लाभान्वित करना है। इस योजना के तहत बच्चों को शिक्षा, चिकित्सा, पोषण, एवं विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक सहायता एवं परिवार विहीन बच्चों को अल्प काल हेतु परिवार उपलब्ध कराना है। चूकि बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु परिवार अत्यन्त आवश्यक है। परिवार विहीन बच्चों के संपूर्ण विकास हेतु झारखण्ड सरकार द्वारा संचालित जिले के विभिन्न बाल गृहों में रहने वाले 18 वर्ष तक के बच्चों को अल्प काल हेतु परिवार से जोडने के लिए पालन–पोषण देखरेख योजना से लाभान्वित करना है। इस कार्यक्रम के तहत अनुरोध करने पर, बच्चों के पालन–पोषण देखरेख के लिए प्रत्येक माह (अधिकतम 03 वर्षो तक) आर्थिक सहायता हेतु अनुदान राशि प्रदान की जायगी।

अतः चतरा जिले के वैसे इच्छुक दम्पति/परिवार जो बच्चों की प्राथमिकता के साथ अल्प अवधि/दीर्घ अवधि के लिए अपने परिवार में बच्चों को रखकर उनका पालन–पोषण एवं देखरेख करना चाहते है कृपया इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई, चतरा के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है।

कार्यालय पताः–
जिला बाल संरक्षण इकाई,
समाज कल्याण विभाग,
विकास भवन, द्वितीय तल्ला,
चतरा।

निवेदक

ह0/–
जिला समाज कल्याण पदाधिकारी,
चतरा।

ज्ञापांक– 08 /ब0सं0, दिनांक– 10/01/19

प्रतिलिपि–
1. उपायुक्त महोदय, चतरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, चतरा को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि स्थानीय समाचार पत्रो में इसका प्रकाशन करने की कृपा करें।
3. जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, चतरा से अनुरोध है कि उक्त सूचना को जिले बेवसाइट पर प्रकाशित करने की कृपा करें।

09/1/19

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी,
चतरा।